(नियम 26)

अज अदालत उपखंड अधिकारी मुकाम मुकुन्दगढ़

बजरंग सिंह S/o रामसिंह बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र धा० 136 नं. 44 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/4/21	प्रार्थी के प्रा०-पत्र की जांच तहसीलदार से करवा ली गई। तहसीलदार ने अपने पत्र राजस्व/धारा 136/2021/86 दिनांक 19.3.2021 द्वारा पेश की है जिसके अनुसार जमाबंदी 2025-2028 के विरासत के दौरान श्री शंकरराम पिता रेवा मुकाम ने काश्त की जमाबंदियों में मयवल शंकरराम पुत्र रेवा ली दर्ज होना बताते हुए रिपोर्ट पेश की गई है। प्रा०-पत्र प्रार्थी ने वर्णित तथ्यों व राजस्व रिकार्ड जमाबंदी गांव कालीपहाड़ी संवत 2014-2017 के अनुसार पुरातन खुद रेकर्डित नानगमित खुद रेकर्डित व शंकरराम खुद रेकर्डित के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा हितबद्ध व काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। धारा 136 के तहत पक्षकारों को पुनः नोटिस की रिकार्ड पुनर्स्थापन करने का प्रावधान है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र पोषणीय नहीं होने पर खारिज किया जाता है। प्रा०-पत्र दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार के [illegible] दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
मुकुन्दगढ़ राज

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailesh Khairva
Date: 2021.12.23 12:26:35 IST
Reason: SelfAttested